रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2000/ज्येष्ठ 23, 1922
No. 125] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2000/JYAISTHA 23, 1922

वाणिज्य मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2000

अन्तिम जांच-परिणाम

विषयः चीन जनवादी गणराज्य एवं जापान से विटामिन सी के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा के लिए पाटनरोधी जांच- अन्तिम जांच परिणाम

सं. 11/1/99-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. कार्य पद्धति

1. निम्नलिखित कार्य पद्धति अपनाई गई है:-

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी(जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को नियमावली के अधीन अम्बालाल इन्टरप्राइसिस लि0 (जिसे इस अधिसूचना में याचिकाकर्त्ता कहा गया है) से चीन जनवादी गणराज्य एवं जापान (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी (जिसे इसके बाद सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा के लिए निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ii) याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से विटामिन सी के आयातों के विरूद्ध जांच समीक्षा शुरू करने का निर्णय किया । प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य एवं जापान से विटामिन सी के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करते हुए तारीख 9 जुलाई, 1999 को भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की । यह समीक्षा दिनांक 25-5-1998 की अधिसूचना सं. 11/1/97-ए डी डी द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के अन्तिम निष्कर्षों से संबंधित है;

(iii) प्राधिकारी द्वारा दिनांक 25-5-1998 की अधिसूचना के तहत पूर्ण की गई जांच का उल्लेख इस अधिसूचना में "पूर्व जांच" के रूप में किया गया है;

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से समीक्षा अवधि के दौरान भारत में विटामिन सी के आयातों का विवरण देने का अनुरोध किया गया था;

(v) प्राधिकारी ने नियम के उपनियम 5(5) के अनुसार समीक्षात्मक जांच प्रक्रिया शुरू करने से पहले नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया;

(vi) प्राधिकारी ने उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों/समीक्षा याचिका के अगोपनीय अंश उपलब्ध रखे और उन्हें किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा देखने के लिए खुला रखा;

(vii) ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को सलाह दी गई थी कि वे जांच से संबंधित अपने निवेदन जांच शुरू होने की तिथि से 40 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से भेजें;

(viii) प्राधिकारी ने भारत में विटामिन सी के सभी ज्ञात आयातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उनसे पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार लिखित रूप में देने के लिए कहा;

(ix) प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को भेजी । याचिका की एक प्रति ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षों को भी मुहैया कराई गई थी जिन्होंने इसको लिए निवेदन किया था;

(x) प्राधिकारी ने संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए नियम 6(4) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य एवं जापान के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को भी प्रश्नावली भेजी:-

1. मैसर्स हेबेई वेलकम फार्मास्यूटिकल कम्पनी लि0, चीन
2. मैसर्स एन सी पी सी (नेशनल कैमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कारपो.), चीन
3. मैसर्स टाकेडा केमिकल इंडस्ट्रीज लि0, जापान

किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली का जवाब नहीं भेजा ।

(xi) नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी नियम 6(2) के अनुसार समीक्षा जांच आरंभ होने की सूचना दे दी गई थी और उनसे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली भरकर भेजने का आग्रह करने का अनुरोध किया गया था । निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की प्रति, ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित दूतावास को भी भेजी गई थी;

(xii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्त्ता संघों को एक प्रश्नावली भेजी गई थी :

- मै0 एंग्लो फ्रेंच ड्रग्स कंपनी(इस्टर्न) लि0, बंगलौर
- मै0 अमेरिकन रेमिडीज, मद्रास
- मै0 भारत लेबोरेट्री सप्लायर्स,मुम्बई
- मै0 क्राइस्ट फार्मास्यूटिकल्स, कलकत्ता
- मै0 कैमी फार्मा, मुम्बई
- मै0 सी जे शाह कं0, मुम्बई
- मै0 कन्सेप फार्मा लि0, मुम्बई
- मै0 दिलीप कुमार एंड कंपनी, मुम्बई
- मै0 ईरोज फार्मा, बंगलौर
- मै0 फोर्ट्स(आई) लैब्स प्रा0 लि0, मद्रास
- मै0 ग्लैक्सो इंडिया लि0, मुम्बई
- मै0 ग्रेडुर फार्मास्यूटिकल लि0
- मै0 खन्ना फार्मा, दिल्ली
- मै0 के सेवेन्ती लाल एंड कंपनी, मुम्बई
- मै0 लैपेक्स कैमिकल्स प्रा0 लि0, मुम्बई
- मै0 लालचन्द भीमराज, मुम्बई
- मै0 मेरिट आर्गेनिक्स लि0, मुम्बई
- मै0 मरकरी लैब्स लि0, मुम्बई
- मै0 मेडली लैब्स, मुम्बई
- मै0 मेडी फार्मा ड्रग हाऊस, मुम्बई
- मै0 नेमी फार्मा प्रा0 लि0, मुम्बई
- मै0 पूजा इन्टरप्राइजेज, मुम्बई
- मै0 प्रदीप कुमार एंड कंपनी, मुम्बई
- मै0 फार्मास्यूटिकल इंडिया, मुम्बई
- मै0 रिकोन लि0, बंगलौर
- मै0 रेमिडिक्स फार्मा प्रा0 लि0, बंगलौर
- मै0 स्ट्राइड फार्मा लि0, न्यू मुम्बई
- मै0सनवेज प्रा0 लि0, मुम्बई
- मै0 तारू इन्टरप्राइजेज, मुम्बई
- मै0 तुराखा ब्रदर्स, मुम्बई
- मै0 ठाकोर फार्मा लैब्स, मुम्बई
- मै0 टेबलेट्स इंडिया लि0, मद्रास

निम्नलिखित आयातकों/संघों द्वारा जबाव दिया गया था:-

- दि कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, मुम्बई
- दिलीप कुमार एंड कंपनी, मुम्बई

(xiii) क्षति के बारे में याचिकाकर्त्ता से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो उन्होंने दे दी थी;

(xiv) प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक याचिकाकर्त्ता के परिसर की मौके पर जांच की;

(xv) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की ईष्टतम उत्पादन लागत तथा माल को बनाने और बेचने की न्यूनतम लागत का हिसाब लगाने के लिए लागत जांच भी की गई ।

(xvi) प्राधिकारी ने 8.2.2000 को सभी हितबद्ध पक्षों के लिए एक संयुक्त मौखिक सुनवाई आयोजित की उसके बाद हितबद्ध पक्षों द्वारा लिखित टिप्पणियाँ और उनका आदान-प्रदान चला । पार्टियों को अपने उत्तर देने के लिए भी अवसर प्रदान किया गया था ।

(xvii) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधार का खुलासा सभी ज्ञात हितबद्ध पार्टियों का दिनांक 16.5.2000 को किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है ।

(xviii) इस अधिसूचना में **** किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमों के अधीन उसे गोपनीय ही माना है ।

(xix) जाँच 1.4.98 से 31.12.98 तक की अवधि के लिए की गई जिसे वर्तमान मामले में जाँच अवधि (पीओआई) के रूप में माना गया है ।

(ख) याचिकाकर्त्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार और प्राधिकारी द्वारा उनकी जाँच

2. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रकटन विवरण में चर्चा की गई है । जिन विचारों पर प्रकटन विवरण में पहले विचार नहीं किया गया है और जो मुद्दे अब प्रकटन विवरण के जवाब में उठाए गए हैं; उन पर नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार किया गया है, जहाँ तक वे नियमों के अनुसार संगत हैं और जहाँ तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं । हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों की जाँच की गई है और जहाँ कहीं उचित समझा गया है, नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है ।

(ग) विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जाँच में शामिल उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2936.27 के अंतर्गत वर्गीकृत संबद्ध देशों के मूल का या वहाँ से निर्यातित विटामीन-सी है । यह आईटीसी (एचएस) प्रणाली के अन्तर्गत उपशीर्ष सं.2936.27.00 के अंतर्गत वर्गीकृत है । यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह मौजूदा जाँच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है । विटामीन-सी का उपयोग मुख्य रूप से भेषजीय उद्योगों द्वारा विभिन्न विनिर्माणों के उत्पादन के लिए किया जाता है ।

(घ) "घरेलू उद्योग" याचिकाकर्त्ता की स्थिति

4. समीक्षा याचिका मै. अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजेज लि. द्वारा दायर की गई है जिसका पंजीकृत कार्यालय गोरबा रोड़, बड़ोदा, गुजरात-390007 में स्थित है । याचिकाकर्त्ता जाँच अवधि के दौरान भारत में विटामीन-सी का एकमात्र उत्पादक है । चूँकि याचिकाकर्त्ता जॉच अवधि के दौरान भारत में विटामीन-सी के समग्र उत्पादन के लिए जिम्मेदार है इसलिए उनके पास नियमों के अधीन घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के लिए वांछित आधार है ।

याचिकाकर्त्ता के आधार के बारे में एक तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्त्ता घरेलू उद्योग होने की पात्रता नहीं रखते हैं क्योंकि वे 2 के जी ए के आयातक हैं जो कि विटामिन सी की अन्तिम सोपान की सामग्री है और इसलिए वह विटामीन-सी की समान वस्तु है । तथापि, प्राधिकारी पाते हैं कि उत्पाद 2केजीए और विटामीन-सी वाणिज्यिक रूप से स्थानापन्न नहीं हैं और 2केजीए विटामीन-सी के निर्माण के लिए केवल एक मध्यवर्ती उत्पाद है । इसलिए, याचिकाकर्त्ता द्वारा आयातित 2केजीए को विटामीन-सी की समान वस्तु नहीं माना जा सकता है । इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्त्ता द्वारा 2केजीए का आयात करना मै0 अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजेज लि0 की परिभाषा में विटामिन सी के आयातकर्त्ता के रूप में नहीं आता है और उसे नियमों के अन्तर्गत 'घरेलू उद्योग' के दायरे से अलग नहीं करता है ।

(ङ) समान वस्तुएं

5. प्राधिकारी प्रकटन विवरण-पत्र के पैरा 1.5 में उल्लिखित स्थिति को पुनः दोहराते हैं । तदनुसार, मै. अम्बालाल साराभाई द्वारा उत्पादित वस्तुओं अर्थात विटामीन-सी को चीन जनवादी गणराज्य और जापान से आयातित विटामिन सी की समान वस्तु माना गया है ।

(च) पाटन का निर्धारणः सामान्य मूल्य यऔर निर्यात कीमत

6. संबद्ध देशों के निर्यातकों के संबंध में पाटन के मापदण्डों, नामतः सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की जाँच की गई है और सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम,1995 की धारा 9क(1) (ग) के अनुसार इनका निर्धारण किया गया है ।

7. प्राधिकारी ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिए ज्ञात निर्यातकों को अवसर प्रदान किया और इस प्रयोजन से उन्हें एक प्रश्नावली भेजी गई थी । तथापि, न तो किसी निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और न ही किसी निर्यातक ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से संबंधित वॉछित सूचना प्रस्तुत की । चूँकि वर्तमान जाँच में शामिल किसी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों ने सहयोग नहीं किया और प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया इसलिए प्राधिकारी के पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर निर्भर करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है ।

सामान्य मूल्य

8. इस तरह प्राधिकारी ने वर्तमान समीक्षा जॉच के प्रयोजन से सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पूर्ववर्त्ती जाँच से संबंधित दिनांक 25.5.1998 के अन्तिम निष्कर्ष में यथानिर्धारित आंकड़ों को ही इस मान्यता के साथ लिया है कि संबद्ध देशों के सामान्य मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । प्राधिकारी इसे सामान्य मूल्य पर सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना मानते हैं ।

निर्यात कीमत

9. जहाँ तक निर्यात कीमत का संबंध है, प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस स्रोत से प्राप्त सूचना को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना मानते हैं और निर्यात कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक संबद्ध देशों से निर्यात के भारित औसत सीआईएफ मूल्य के आधार पर करते हैं ।

छ. पाटन मार्जिन का निर्धारणः सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना

10. प्राधिकारी ने विभिन्न निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के आधार पर और नियमों के अनुबन्ध-1 में उल्लिखित सिद्धान्तों के आधार पर किया है । सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के प्रयोजन से प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार किया है जिसे प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना मानता है । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत व्यापार के श्समान स्तर अर्थात कारखाना द्वार स्तर पर हैं और श्पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए तुलना भारित औसत की भारित औसत के साथ की गई है ।

पाटन मार्जिन

ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच तुलना से संबंद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों के मामले में पाटन मार्जिन निम्नानुसार निकलता हैः

रूपए/कि.ग्रा.

देश	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन
चीन जन.गणराज्य	418	231.67	निर्यात कीमत का 80.42%
जापान	449	241.25	निर्यात कीमत का 86.11 %

11 गैर-सहकारी/शेष निर्यातकों का निर्धारण

प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों को गैर-सहकारी निर्यातक माना है और तदनुसार ऊपर परिकलित पाटन मार्जिन संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों के लिए लागू होता है ।

12. इस प्रकार संबद्ध देशों और निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के % के रूप में निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः-

देश	निर्यातक	पाटन मार्जिन
1. चीन जनवादी गणराज्य	सभी निर्यातक	80.42 %
2. जापान	सभी निर्यातक	86.11 %

ज. **क्षति का निर्धारण**

13. प्राधिकारी ने सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त नियम 11 और नियमों के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धातों के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन किया है । क्षति का निर्धारण करने के लिए, प्रधिकारी ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है । इस संबंध में, प्राधिकारी ने उक्त नियमावली के अनुबंध 11(iv) के अनुसार उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, बिक्री की मात्रा, निवल बिक्री वसूली, लाभप्रदता और पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि पर विचार किया है ।

14. इस संबंध में, प्राधिकारी ने भारत को संबद्ध देशों की निर्यात कीमत और घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री की मात्रा, निवल बिक्री प्राप्ति और लाभप्रदता के संबंध में निम्नलिखित प्रवृत्तियों को नोट किया है:-

क) संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के हिस्सों में तेजी से गिरावट आई है । 1997-98 के दौरान चीन से हुए आयात 419 मी.टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 473 मी.टन (वार्षिक) हो गए हैं । इसी तरह से जापान से हुए आयात वर्ष 1996-97 के दौरान 124 मी.टन थे जो 1997-98 में बढ़कर 246 मी.टन और जांच अवधि के दौरान 283 मी.टन (वार्षिक) हो गए हैं ।

ख) वर्ष 1996-97 के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 44% से घटकर जांच अवधि के दौरान 22% हो गया ।

ग) वर्ष 1996-97 के दौरान याचिकाकर्त्ता का उत्पादन 469 मी.टन था जो घटकर वर्ष 1997-98 के दौरान 304 मी.टन हो गया और जांच अवधि के दौरान यह उत्पादन 300 मी.टन (वार्षिक) के स्तर पर आ गया ।

घ) याचिकाकर्त्ता की बिक्री मात्रा में भी कमी आई है । यह 1996-97 के दौरान 413 मी.टन थी जो घटकर वर्ष 1997-98 में 269 मी.टन हो गई । जांच अवधि के दौरान उक्त बिक्रियाँ और आगे घटकर 235 मी.टन रह गई ।

ङ) औसत निवल प्राप्ति में जांच के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में लगभग 10% की कमी रही और वर्ष 1996-97 की तुलना में लगभग 13.5% तक की कमी रही।

च) परिणामस्वरूप, लाभप्रदता नकारात्मक रही और जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्त्ता/घरेलू उद्योग को भारी हानि हुई है ।

15. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य दोनों का भारतीय उद्योग पर प्रभाव पड़ा है और जांच अवधि के दौरान बाजार हिस्से, बिक्री की मात्रा, निवल बिक्री, प्राप्ति में कमी और हानि में वृद्धि को देखते हुए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

झ) **कारणात्मक संबंध**

16. रूस, जर्मनी और यू.के. को छोड़कर, जिनके खिलाफ याचिकाकर्त्ता ने अलग से एक आवेदन दायर किया है, डम्पिंग नहीं कर रहे अन्य देशों से विटामिन-सी के आयात तकरीबन शून्य हैं या न्यूनतम हैं । इसलिए, अन्य देशों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, भारत में विटामिन-सी की मांग में कोई खास फर्क नहीं आया है । इसलिए, मांग में परिवर्तन घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति का कारक नहीं बन सकता है । इसके अलावा, याचिकाकर्त्ता की विनिर्माण प्रक्रियाओं में और समूचे विश्व में अन्य उत्पादकों की विनिर्माण प्रक्रियाओं में कोई पर्याप्त अंतर नहीं है ।

प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई है क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य और जापान से पाटित आयातों के कारण मूल्य में गिरावट आने के साक्ष्य हैं । प्राधिकारी ने पाया है कि इन देशों से हुए आयातों का पहुँच मूल्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित याचिकाकर्त्ता/घरेलू उद्योग की क्षति रहित बिक्री कीमत से कम है । इससे घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के पहुँच मूल्य के बराबर अपनी घरेलू बिक्री कीमत को लाने के लिए बाध्य होना पड़ा है । जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान निवल बिक्री प्राप्ति क्षति रहित बिक्री कीमत से कम रही है जिससे घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई है । इस प्रकार संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण याचिकाकर्त्ता की घरेलू बिक्री प्राप्ति में गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

ञ) **भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**

17. सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः बहाल करना है जो कि देश के सामान्य हित में है ।

18. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेषकर तब, जब पाटनरोधी शुल्क की लेवी उस राशि तक ही प्रतिबंधित कर दी जाए जो कि घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक है । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभों के समाप्त किया जा सकेगा,

भारतीय उद्योग के ह्रास को रोका जा सकेगा और इस प्रकार विटामिन-सी के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध होंगे । पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

19. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को सुनिश्चित करने के निमित प्राधिकारी घरेलू उद्योग के लिए क्षमता उपयोग के ईष्टतम स्तर पर उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार करके भारत में घरेलू उद्योग के लिए विटामिन-सी की उचित बिक्री कीमत, पर विश्वास कर सकते हैं ।

(ट) अंतिम निष्कर्ष

20. पूर्वोत्तर पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क) चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी का सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया गया है, जिसके कारण पाटन हुआ है;

ख) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

ग) घरेलू उद्योग को उक्त क्षति चीन जनवादी गणराज्य और जापान मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण हुई ।

21. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन-सी, जो सीमा शुल्क उप-शीर्ष सं0 2936.27.00 के अंतर्गत आता है, के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत को स्वीकार करते हैं ।

22. पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटन मार्जिन के बराबर अथवा ऐसे कम शुल्क की सिफारिश करने पर विचार किया गया था जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो जाएगी । इस प्रयोजनार्थ, अलग-अलग निर्यातक के लिए आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की जांच अवधि के लिए निर्धारित की गई क्षति रहित बिक्री कीमत से की गई थी । जहां कहीं यह अंतर पाटन मार्जिन से कम पाया गया है, वहां पाटन मार्जिन से कम शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है ।

23. तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं0 2936.27.00 के अंतर्गत आने वाले संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन-सी के सभी आयातों पर, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । संबद्ध देशों और उनके निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में

पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई सारणी के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि और प्रति कि.ग्रा. आयातों के पहुँच मूल्य के बीच का अंतर होगाः-

क्रम सं0	देश	निर्यातक/उत्पादक	राशि (अमरीकी डालर/किग्रा.)
1	2	3	4
1.	चीन जनवादी गणराज्य	सभी निर्यातक	12.17
2.	जापान	सभी निर्यातक	12.62

24. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3,3 क,8ख,9 तथा 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्कों और सीमाशुल्क अधिनियम,1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य का जोड़ होगा।

25. इस आदेशों के विरूद्ध कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी ।

रति विनय झा. निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2000

FINAL FINDINGS

Subject:- Anti-dumping investigation for review of anti-dumping duty concerning imports of Vitamin C from Peoples Republic of China and Japan- Final Findings.

No. 11/1/99-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed:

i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the Rules, received from M/s Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. (also referred to as petitioner in this notification), a request for review of anti-dumping duty imposed on imports of Vitamin C (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from People s Republic of China and Japan (hereinafter referred to as subject countries).

ii) The Authority on the basis of sufficient and fully documented evidence submitted by the petitioner, decided to initiate review investigation against imports of Vitamin C from the subject countries. The Authority issued a public notice dated 9th July, 1999 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating review of anti-dumping duty concerning imports of Vitamin C from Peoplè s Republic of China and Japan. The review pertains to the Authoritỳ sfinal findings notified vide Notification No. 11/1/97-ADD dtd. 25.5.1998.

iii) The investigation concluded by the Authority vide notification dated 25.5.1998 has been referred to as the previous investigation in this notification.

iv) Request was made to the Central Board of Excise and Customs(CBEC) to arrange details of imports of Vitamin C in India during the period of review.

v) The Authority notified the Embassies of the subject countries in New Delhi before proceeding to initiate the review investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rule.

vi) The Authority made available non-confidential version of the review petition/evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained and kept open for inspection by any interested party.

vii) Known exporters, importers and other interested parties were advised to make their submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within 40 days from the date of initiation of the present review.

viii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers(whose details were made available by petitioner) of Vitamin C in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter.

ix) The Authority provided a copy of the petition to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) supra. A copy of the petition was also provided to other interested parties, wherever requested.

x) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/producers from Peoplè sRepublic of China and Japan in accordance with the Rule 6(4) :

1. M/s HEBEI WELCOME Pharmaceutical Co. Ltd. China
2. M/s NCPC(National Chemical & Pharmaceutical Corpn China
3. M/s TAKEDA Chemical Industries Ltd., Japan

No exporter has furnished the response to the questionnaire.

xi) The Embassies of the subject countries in New Delhi was informed about the initiation of the review investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy, alongwith a list of known exporters/producers.

xii) A questionnaire was sent to the following known importers/user associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4):

- M/s Anglo French Drugs Co. (Eastern) Ltd. Bangalore
- M/s American Remedies, Madras
- M/s Bharat Laboratory Suppliers, Bombay
- M/s Cryst Pharmceuticals, Calcutta.
- M/s Chemi Pharma, Bombay
- M/s C J SHAH & Company, Bombay
- M/s Concepe Pharma Ltd., Bombay
- M/s Dilip Kumar & Company, Bombay
- M/s Eros Pharma, Bangalore
- M/s Fourts(I) Labs Pvt. Ltd., Madras
- M/s Glaxo India Ltd., Bombay
- M/s Gradure Pharmaceuticals Ltd.
- M/s Khanna Pharma, Delhi.
- M/s K. Seventilal & Co., Bombay
- M/s Lapx Chemicals Pvt. Ltd., Bombay
- M/s LalChand Bhimraj, Bombay
- M/s Merit Organics Ltd., Bombay
- M/s Mercury Labs Ltd. Bombay
- M/s Medley Labs., Bombay
- M/s Medi Pharma Drug House, Bombay
- M/s Nemi Pharma Pvt. Ltd.,Bombay
- M/s Puja Enterprises, Bombay
- M/s Pradip Kumar & Company, Bombay
- M/s Pharmaceutical India, Bombay
- M/s Recon Ltd., Bangalore
- M/s Remidex Pharma P. Ltd., Bangalore
- M/s Stride Pharma Ltd., New Bombay
- M/s Sunways P Lltd., Bombay
- M/s Taru Enterprises, Bombay
- M/s Turakha Bros., Bombay
- M/s THTHAKORE Pharma Labs., Bombay
- M/s Tablets India Ltd., Madras

Response was filed by the following importers/associations.

- The Chemists & Druggists Association, Bombay
- Dilip Kumar & Co. Mumbai

xiii) Additional information regarding injury was sought from the petitioner, which was also furnished.

xiv) The Authority conducted on the spot investigation at the premises of the petitioner to the extent considered necessary.

xv) Cost investigation was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

xvi) The Authority held a joint oral hearing for all interested parties on 8.2.2000 which was followed by written submissions by the interested parties and exchange thereof. The parties were also given an opportunity for filing their rejoinders.

xvii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties on 16.5.2000 and comments received on the same have also been duly considered in these findings.

xviii) **** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xix) Investigation was carried out for the period starting from 1.4.98 to 31. 12. 98, which is adopted as the Period of Investigation (POI) in the present case.

B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY.

2. The views expressed by various interested parties have been discussed in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement, are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per the Rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product involved in the present investigation is Vitamin C originating in or exported from the subject countries, classified under Customs Subheading No. 2936.27 of Customs Tariff Act. It is classified under sub heading No. 2936.27.00 under the ITC (HS) system. The classification is, however, only indicative and is not binding on the scope of the present review. Vitamin C is primarily used by the Pharmaceutical Industries for production of various formulations.

D. " DOMESTIC INDUSTRY "STANDING OF THE PETITIONER

4. The Review petition is filed by M/s AmbaLal Sarabhai Enterprises Ltd. having Registered Office at Gorwa Road, Baroda, Gujrat-390007. The petitioner is the sole producer of Vitamin C in India during the POI. Since the petitioner accounts for the total production of Vitamin C in India during the POI, they have the requisite standing to file the petition on behalf of the domestic industry under the Rules.

As to the standing of the petitioner, an argument has been raised that the petitioner are disqualified to form part of the domestic industry as they are an importer of 2KGA which is the final stage material for Vitamin C and, therefore, is a like article to Vitamin C. However, the Authority finds that the products 2 KGA and Vitamin C are not commercially substitutable and the former is only an intermediate product for manufacture of the latter. Therefore, 2 KGA imported by the petitioner is not considered as a Like article to Vitamin C. The Authority holds that the import of 2 KGA by the petitioner does not, therefore, lead to the definition of M/s Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. as importer of Vitamin C and does not exclude them from the Scope of domestic industry under the Rules.

E. LIKE ARTICLE

5. The Authority reiterates the position mentioned at para 1.5 of the Disclosure statement. Accordingly, the goods produced by M/s Ambalal Sarabhai, i.e. Vitamin C, are treated as Like article to the same imported from People sRepublic of China and Japan.

F. ASSESSMENT OF DUMPING: NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

6. The parameters of dumping, namely, the Normal value and export price, in relation to the exporters of the subject countries are examined and determined in terms of Section 9 A(1) (c) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995.

7. The Authority provided opportunity to the known exporters to furnish information on Normal value and Export price in accordance with the provision cited above in the prescribed form and a questionnaire was circulated to them for this purpose. However, none of the exporters submitted response to the questionnaire nor any exporter submitted requisite information relating to Normal Value and Export Price. Since none of the known exporters/producers involved in the present investigation cooperated and responded to the questionnaire furnishing the information elicited by the Authority, the Authority has no other alternative but to rely upon the best information available.

Normal Value

8. Thus, the Authority, for determination of Normal Value for the purpose of the present review investigation, adopts the same figure as determined in the Final Findings dtd. 25.5.1998 of the previous investigation, with the assumption that there is no change in the Normal Value of the subject countries. The Authority treats this as the best available information on Normal Value.

Export Price

9. As regards Export Price, the Authority considers the information from DGCI&S source as the best available information and determines the Export Price on the basis of the weighted average CIF price of exports from each of the subject countries as per DGCI&S data for the POI.

G. ASSESSMENT OF DUMPING MARGIN:COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE:

10. The Authority has determined the dumping margin for various exporters/producers on the basis of a fair comparison between the Normal value and the Export price and on the basis of the principles laid down in Annexure 1 to the Rules. For the purpose of fair comparison between the Normal value and the Export price, the Authority has taken into consideration the information available on record which the Authority has treated as the best available information. The Normal value and the export price determined for the exporters of the subject countries, as detailed above, are at same level of trade, i.e. at ex-factory level, and the comparison is weighted average to weighted average for the purpose of determining the dumping margin.

DUMPING MARGIN

The comparison of the Normal Value and the Export Price, determined as above, gives the dumping margin in case of the exporters/producers of the subject countries as under :-

(Rs./Kg.)

Country	Normal Value	Export Price	Dumping Margin
People's Republic of China	418	231.67	80.42 % of export Price
Japan	449	241.25	86.11 % of export Price

11. **Assessment of Non Cooperative/Residual Exporters:**

The Authority treats all exporters from the subject countries as non-Cooperative and, accordingly, the dumping margin worked out above is applicable to all exporters of the subject countries..

12. Thus, the dumping margin as % of export price in respect of the subject countries and the exporters is determined as under :-

Country	Exporter	Dumping Margin
1. People's Republic of China	All Exporters	80.42%
2. Japan	All Exporters	86.11%

H ASSESSMENT OF INJURY :

13. The Authority has assessed injury to the domestic industry after taking into account all relevant facts and in accordance with Rule 11 Supra and the Principles set out in Annexure II to the Rules. For determination of injury, the Authority has examined the impact of dumped imports on the domestic industry. In this regard, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of industry as production, volume of sales, net sales realisation, profitability and magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the Rules Supra.

14. The Authority, in this regard, has noted the following trends in regard to the export price of the subject countries to India and the domestic industry sproduction, volume of sales, net sales realisation and profitability:

(a) The imports from the subject countries have increased in volume and the share of the domestic industry has declined sharply. The imports from China has increased from 419 M.T. during 1997-98 to 473 M.T.(annualised) during the POI. The same from Japan has increased from 124 M.T. during 1996-97 to 246 .M.T. in 1997-98 and to 283.M.T. during the POI (annualised).

(b) The market share of the domestic industry has declined from 44% during 1996-97 to 22% during the POI.

(c) There is decline in production of the petitioner from 469 M.T. during the year 1996-97 to 304 M.T. during the year 1997-98 and during the POI the production stands at the level of 300 M.T. (annualised).

(d) There is also a decline in the sales volume of the petitioner. The same has declined from 413 M.T. during 1996-97 to 269 M.T. during the year 1997-98. The sales have declined further to 235 M.T. (annualised) during the POI.

(e) The average net realisation during the POI has declined by about 10% compared to the proceeding year and by about 13.5% compared to the year 1996-97.

(f) Consequently the profitability has been negative and the petitioner/domestic industry has incurred heavy losses during the POI.

15. In view of the above, the Authority concludes that the dumped imports from the subject countries have both the volume as well as the price effect on the Indian industry and the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation on account of decline in the market share, volume of sales, net sales realisation and increase in losses.

I. CAUSAL LINK

16. The imports of Vitamin C from other countries not dumping is almost nil or de-minimis except from Russia, Germany and U.K. against which the petitioner have filed an application separately. The imports from other countries, therefore, are not causing any injury to the domestic industry. Further, there is not much change in demand of Vitamin C in India. Hence, the change in demand can not be a factor contributing to any injury to the domestic industry. Furthermore there is no significant difference in the manufacturing process of the petitioner and that of the other producers world over.

The Authority holds that material injury has been caused to the domestic industry by imports from the subject countries as there is evidence of price undercutting caused by the dumped imports from People s Republic of China and Japan. The Authority finds that the Landed Value of imports from these countries is lower than the Non-injurious selling price of the petitioner/domestic industry determined by the Authority. This has forced the domestic industry to match their domestic selling price with the Landed Value of dumped imports. As a result the net sales realisation has been below the non-injurious selling price during the POI leading to financial losses for the domestic industry. Thus, the dumped imports from the subject countries had the effect of undercutting the domestic sales realization of the petitioner causing thereby injury to the domestic industry.

J. Indian Industry interest and other issues

17. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

18. It is recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of the anti dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping

practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of Vitamin C. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

19. To ascertain the extent of anti-dumping duty necessary to remove the injury to the domestic industry, the Authority may rely upon reasonable selling price of Vitamin C in India for the domestic industry, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilisation for the domestic industry.

K. FINAL FINDINGS:

20. After considering the foregoing, the Authority concludes that :

(a) Vitamin C originating in or exported from People's Republic of China and Japan has been exported to India below its Normal value, thereby resulting in dumping.

(b) The Indian Industry has suffered material injury.

(c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from People sRepublic of China and Japan.

21. In view of the above the Authority recognises the need for continuation of imposition of anti dumping duty on all imports of Vitamin C falling under Customs Sub-heading No. 2936.27.00 originating in or exported from the subject countries.

22. It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less which, if levied, would remove injury to domestic industry. The Landed value of imports for individual exporter, for the purpose, was compared with the non-injurious selling price of the domestic industry, determined for the period of investigation. Where the difference is found to be less than the dumping margin a duty lower than the dumping margin is recommended.

23. Accordingly, it is proposed that anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Vitamin C originating in or exported from the subject countries falling under Customs Subheading No. 2936.27.00 of Customs Tariff Act. The anti-dumping duty in respect of the subject countries and their exporters/producers shall be the difference between the amount mentioned in column 4 of the following table and the landed value of imports per Kg :-

Sl.No.	Country	Exporter/producer	Amount(US$/Kg)
1.	2.	3.	4.
1.	People sRepublic of China	All exporters	12.17
2.	Japan	All exporters	12.62

24. Landed value of imports for the purpose shall be the sum of the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3 A, 8 B, 9 and 9 A of the Customs Tariff Act, 1975.

25. The appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold(Control) Tribunal in accordance with the Act Supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.